

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुकम
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 बनाम
 मु. सं.

18.4.22

आज पत्रावली पेश हुई प्रतिवादीगण
 को तलवी दिने जान हेतु पर्याप्त अवसर
 दिये गये लेकिन तलवाता सम्मत पेश
 नहीं किया गया। कोई भी उपस्थित नहीं
 था। इस प्रकार वादीगण अपने बादपत्र
 को चलाते में रुचि नहीं ले रहे हैं।
 अतः वादीगण ~~के~~ द्वारा बार-बार
 निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण
 को तलवी हेतु तलवाता सम्मत प्रस्तुत नहीं
 करने के कारण वादी का वाद आरोप उचित
 5 जाचों के अन्तर्गत अवैत किया जाकर
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल
 पुस्तक होकर दाखिल इफ्तद हो।
 आदेश हुमायु गामा

उपखण्ड अधिकारी
 नया जिला नैब